स पोस्ट के अन्तर्गत डाक
नगद भुगतान (बिना डाक
के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक
22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 नवम्बर 2005—कार्तिक 20, शक 1927

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

फ 7-16/2005/1/6.—केन्द्र शासन द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (1) में की गई अपेक्षा के एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग" का गठन करता है.

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2005

अधिसूचना

1-1/2005/1/6.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) (ख) एवं (ग) ोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

तथा प्रारंभ—
नियम छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार, (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 कहलाएंगे.

ह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

2. परिभाषाएं—
इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 सन् 2005) से है.

(ख) "धारा" का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है.

(ग) शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दि गए हैं.

3. धारा- 6 की उपधारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दस रुपये शुल्क नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति "मुख्यशीर्ष- 0070- उपमुख्यशीर्ष-800- अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा.

4. धारा-7 की उपधारा (1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार मूल्य नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति के "मुख्यशी 0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :—

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रुपए,

(ख) बड़े आकार के कागज पर प्रति का वास्तविक मूल्य या लागत मूल्य, एवं

(ग) नमूना अथवा माडल के लिए वास्तविक या लागत मूल्य,

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए ~~कोई शुल्क नहीं~~ Rs 50 और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लि पांच रुपये की शुल्क.

5. धारा-7 की उपधारा (5) के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु मूल्य निम्नानुसार दर से नगद, समुचित रसीद सहित अथवा विभागीय प्राप्ति "मुख्यशीर्ष-0070-उपमुख्यशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" में चालान द्वारा जो लोक प्राधिकारी के नाम देय हो, के द्वारा जमा करना होगा :—

(क) सी. डी. या फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए पचास रुपये प्रति सी. डी. या फ्लापी, एवं

(ख) मुद्रित फार्म में सूचना के लिए प्रकाशन के लिये नियत कीमत.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचि

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2005—पौष 2, शक 1927

विषय—सूची

—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

फ 9-21/05/1-8.—श्री विनोद गुप्ता, दूरसंचार सेवा (1987 बैच) की सेवाएं, भारतीय दूरसंचार निगम नई दिल्ली ने विभाग को सौंपने की सहमति के फलस्वरूप श्री विनोद गुप्ता, उप महाप्रबंधक (WTR) भारतीय दूरसंचार निगम लि. र ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग है.

चालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

2. इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें बाद में जारी की जावेगी.

रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 9-21/05/1-8.—श्री अनूप श्रीवास्तव, (भा.व.से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को तत् प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन विभाग, पदस्थ किया है. श्री अनूप श्रीवास्तव को उनके कर्त्तव्यों के साथ-साथ संचालक, पशुपालन, छत्तीसगढ़ रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता

2. श्री अनूप श्रीवास्तव द्वारा संचालक, पशुपालन के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. एल. प्रजापति, संचालक, पशुपालन प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचि

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 1-2/2005/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट "क" में दर्शाये गये नगरीय निकायों में नियत मतदान दिन 16 दिसम्बर, 2005 वार शुक्रवार को केवल नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका परिषद्) क्षेत्रों के लिये सामान्य अवक घोषित करता है.

2. उक्त दिनांक को केवल ऊपर उल्लेखित संबंधित क्षेत्रों के लिये परक्राम्य लिखित अधिनियम-1881 (निगोशिएबल) इन्स्ट्रूमेंट एक्ट-1881 के क्रमांक-26 की धारा-25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचि

परिशिष्ट-"क"

नगरपालिका आम निर्वाचन वर्ष 2005
नगरीय निकायों की सूची

क्र. (1)	जिला (2)	नगरीय निकाय का कोड (3)	नगरपालिका का नाम (4)	वार्डों की संख्या (5)
1.	दुर्ग	110402	नगरपालिक निगम, भिलाई	67
		110404	नगरपालिका परिषद् भिलाई चरौदा	36
		110407	नगरपालिका परिषद् जामुल	18
			योग	**121**

रायपुर, दिनांक 01 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ 7-15/2005/1/6.—राज्य शासन ने, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(1) अनुसार, दिनांक 01 अक्टूबर, को "छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग" का गठन किया है. अधिनियम की धारा 15 (7) अनुसार एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य सूचना का मुख्यालय रायपुर घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्द कुमार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2005

क ई-7/23/2004/1/2.—श्री एस. के. कुजूर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग 24-12-2005 से 31-12-2005 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 01-01-2006 य अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

से लौटने पर श्री कुजूर, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

काश काल में श्री कुजूर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के थे.

णित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

क ई-7/19/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28-11-2005 द्वारा श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से., सचिव, शासन, जन सम्पर्क विभाग को दिनांक 05-12-2005 से 09-12-2005 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क ई-7/13/2003/1/2.—श्री एम. एस. धुर्वे, भा.प्र.से., जो आयुक्त, भू-अभिलेख, छ.ग., रायपुर के पद पर पदस्थ थे तथा जिनका 11-2005 को देहावसान हो गया है, को दिनांक 24-01-2005 से 10-07-2005 तक (169 दिवस) का लघुकृत अवकाश तथा 07-2005 से 18-11-2005 तक (130 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

काश काल में श्री धुर्वे, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें उक्त अवका के पूर्व

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग को दिनांक 25-11-20 एवं 26-11-2005 तक (दो दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27 नवम्बर, 2005 के शासकीय अवक के जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय विकास विभाग के पद पर पु पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचि

रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

अधिसूचना/संशोधन

क्रमांक एफ-7/15/2005/1/6.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-15/2005/1/6 दिनांक 26 नवम्बर, 05 में शब्द समू ''नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त'' के स्थान पर शब्द समूह ''नवनियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त'' प्रतिस्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचि

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

क्रमांक/4183/सी.एम.घोषणा/6/04-05/14-3.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसके लिये उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अनुसूची में,—

''कृषि उपज की अनुसूची'' में मद बारह के अनुक्रमांक 2 में ''हर्रा'' एवं अनुक्रमांक 6 ''गोंद'' (सब प्रकार का) लोप किया जाय.

Raipur, the 7th December 2005

3/C.M. Dec/6/04-05/14-3.—In exercise of the powers conferred by Section 60 of the Chhattisgarh Krishi dhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby makes the following amendments in the e said Act, the same having been previously published as required under Section 60 of the Act, namely;—

AMENDMENT

hedule,—
number 2 "Harra" and Serial number 6 "Gond" (of All Categories) of the item Twelve in the "Schedule l produce" shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

लेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

006/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि ाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: यम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा चना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन. का वर्णन
तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डोंगरगांव	कोहका प.ह.नं. 16	2.826	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा बॅराज परियोजना के कोहका लघु नहर निर्माण के लिए है.

लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी (मोंगरा बॅराज परियोजना), जिला कार्यालय राजनांदगांव में किया जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1589/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है; अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को एतद्द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	रौता	3.36	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग छ.ग.	रौता जलाशय बांध एवं नहर हेतु भूमि अर्जन.

नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1592/प्र.-1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है; अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को एतद्द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमधा	बिरेझर	2.23	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग छ.ग.	रौता जलाशय बांध एवं नहर हेतु भूमि अर्जन.

(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ 8 अ/82 वर्ष 2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभ है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्य को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	रामपुर प. ह. नं. 17/35	0.372	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प., डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	लालपुर उपनहर निर्माण

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/ 21 अ/82 वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	खिलोरा प. ह. नं. 21	4.022	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा.	केसली माइनर नहर हेतु.